

मृत व्यक्ति के दावों के निपटान के लिए आवेदन पत्र (निवासी / अनिवासी के लिए लागू)

नामांकन या उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त खाते के अलावा अन्य मामलों में खातों में शेष राशि, सुरक्षित जमा लॉकर में सामान और सुरक्षित अभिरक्षा के भुगतान के लिए आवेदन पत्र भरने के निर्देश

1. मृतक का नाम और मृत्यु की तिथि का उल्लेख करें। यदि व्यक्ति लापता है/पता लगाने योग्य नहीं है (अर्थात्, व्यक्ति का ठिकाना 7 वर्ष से अधिक समय से अज्ञात है तो मृत्यु का कानूनी आदेश/प्रमाणपत्र/मृत्यु का अनुमान न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है) लापता होने की तारीख का उल्लेख करें।
2. मृतक के सभी जमा और साथ ही ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों का उल्लेख करें। उपार्जित ब्याज सहित दावे की वास्तविक राशि की गणना भुगतान की तिथि को की जाएगी। इसी प्रकार मृतक के सेफ कस्टडी लॉकर और सेफ कस्टडी खाता/रसीद संख्या का विवरण दें।
3. चयन करें कि क्या दावा कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना किया गया है (व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु हो गई) या कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ (यानी वसीयत/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र) उसी की प्रति संलग्न की जाए। कानूनी प्रतिनिधित्व के मामले में, केवाईसी/लाभार्थियों की उचित पहचान को छोड़कर बिंदु 5 पर उल्लिखित स्वतंत्र व्यक्ति से कोई घोषणा आवश्यक नहीं है।

4. (ए) से (एफ) - मृतक का विवरण प्रदान किया जाना है। सत्यापन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और मूल जमा करें। जमाकर्ता पर लागू उत्तराधिकार के व्यक्तिगत कानून (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य समुदाय) के अनुसार मृतक की संपत्ति हेतु कानूनी उत्तराधिकारी तय किए जाएंगे।

(जी) उम्र और पते के साथ सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का विवरण दें। अंतिम कॉलम में, उन उत्तराधिकारियों के लिए 'हां' का उल्लेख करें, जो विधिवत मुद्रांकित और निष्पादित अस्वीकरण पत्र (अनुलग्नक-ए के अनुसार) निष्पादित कर रहे हैं। अन्यथा, 'नहीं' का उल्लेख करें।

(एच) प्राकृतिक/कानूनी अभिभावक के साथ कानूनी उत्तराधिकारियों (नाबालिग सहित) के नाम का उल्लेख करें। यदि कानूनी अभिभावक नियुक्त किया जाता है, तो आदेश की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

4. घोषणा पर मृतक के परिवार से परिचित एक स्वतंत्र व्यक्ति, लेकिन उससे असंबद्ध और बैंक को स्वीकार्य, या मृतक के परिवार को जानने वाले बैंक के किसी भी खाताधारक, लेकिन उससे जुड़े नहीं, या किसी भी सरकारी अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिनके हस्ताक्षर बैंक द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। जहां शेष राशि के दावे की राशि प्रारंभिक सीमा से अधिक है, वहां घोषणा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रारूप के अनुसार एक हलफनामा निष्पादित करना होगा। (अनुलग्नक - बी) "न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट / नोटरी" के समक्ष। शपथ पत्र पर संबंधित राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मुहर लगाई जाएगी। कानूनी प्रतिनिधित्व के मामले में इस घोषणा की आवश्यकता नहीं है।
5. जमानत पर विस्तृत जानकारी, उनके मूल्य पर पहुंचने के लिए, एक अलग प्रपत्र अनुलग्नक-डी में प्रस्तुत किया जाना है। जमानतें, जो मृतक के रिश्तेदार हैं, को स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे सीधे दावेदारों के रूप में शामिल न हों और शामिल राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अच्छा माना जाता है। यदि एक जमानत बैंक द्वारा राशि के लिए अच्छा माना जाता है, तो दूसरा जमानत आवश्यक नहीं है। जमानतदारों को संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-सी) के अनुसार दावेदारों के साथ क्षतिपूर्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। संबंधित राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति पत्र पर मुहर लगाई जाएगी।
6. संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक - ए) के अनुसार "अस्वीकरण पत्र" प्रस्तुत करके संपत्ति में अपना अधिकार छोड़ने वालों के अलावा सभी दावेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए और संबंधित राज्य स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मुहर लगाई जाएगी।

(कृपया ध्यान दें कि जहां बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है, वहां दावा राशि प्राप्त करने के लिए दावेदारों को रसीद पर हस्ताक्षर करने होंगे)।

8. अनिवासी जमाकर्ता/दावेदार के लिए

ए) यदि जमाकर्ता/दावाकर्ता अनिवासी है, और विदेश में निधन हो गया है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो प्रमाणित है [निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित दावे को संसाधित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा :

- i) उस देश में नोटरी पब्लिक
- ii) उस देश में भारतीय दूतावास/उच्चायोग
- iii) बैंक का विदेश कार्यालय। (स्थानीय विनियमों के अनुसार सत्यापन करना जहां भी संभव/अनुमति योग्य हो)
- iv) भारत में उस देश का दूतावास/उच्चायोग

निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज़ के साथ एक मृत्यु प्रमाण पत्र एक पुष्टिकरण साक्ष्य के रूप में, मृत्यु की घटना की पुष्टि करने वाले को इस तरह स्वीकार किया जाएगा

- i. खाताधारक की मृत्यु के कारण विदेशी केंद्र में बीमा दावे के निपटान का साक्ष्य
- ii. खाताधारक की मृत्यु के कारण विदेशी केंद्र में बैंक खातों की आय के निपटान का साक्ष्य
- iii. खाताधारक की मृत्यु के कारण विदेशी केंद्र पर नियोक्ता द्वारा सेवांत लाभों के निपटान का साक्ष्य। हालांकि, नियोक्ता को केवल एक सरकारी/बहुपक्षीय संगठन होना चाहिए